



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

No. 59]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

**का.आ. 65(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य कोलाम जिले में 8°44' और से 9°14' उत्तरी अक्षांश और 76°59' और 77°16' पूर्वी देशांतर में स्थित है और 172.403 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

अभयारण्य केरल राज्य में अगस्त्यमलाम जैव मंडल रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का भाग है और पेरियार हाथी रिजर्व का भी भाग है;

अभयारण्य विभिन्न किस्म की वनस्पति और जीव जंतु को व्यापक रूप से पोषण करता है और पौधों की महत्वपूर्ण दुर्लभ, देशज तथा संकटग्रस्त प्रजातियों में ग्लूटा ट्रावेनकोरिका, साइनोमेट्रा बोरडीलोनी, पैला क्यूइयम, बोरडीलोनी, माधुका, बोअरडिलोनी, बेन्टिकिया कोन्डापन्ना, कुलेनिया एकसेल्स, सिनानोमम, सल्फोरटम, गरसिनिया इमवेरटी, ट्रिकोफस जेलानिकस इत्यादी सम्मिलित है और महत्वपूर्ण जंतुओं में बाघ, तेंदुआ नीलगिरी चितराला नेवला, हाथी गौर सांवर मृग, लंगूर, त्वांगु, रीछ, तेंदुआ बिल्ली आदि सम्मिलित है;

शेनद्रुणी अभयारण्य ने अपना नाम चेंकुरंजी (ग्लूआ ट्रावेन कोरिका) नामक स्थानीय वृक्ष से लिया है जो इस भूभाग तक सीमित देशज है और अभयारण्य में अरोग्य पत्त (ट्राईकोपस जेइलानिकस) नामक महत्वपूर्ण दुर्लभ तथा देशज ओषधीय पौधा भी है जिसमें थकावट रोधी विशेषताएं हैं और जनजातियों तथा स्थानीय लोगों द्वारा इसे व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है;

शेनद्रुणी अभयारण्य कलादा नदी का आवाह क्षेत्र है और शेनद्रुणी रिजर्व से पानी केरल के कोल्लाम तथा पाथानामथिट्टा जिलों में कृषि के विशाल भूभाग का पोषण करता है;

और, शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 20 मीटर से 750 मीटर तक के विस्तार वाले क्षेत्र को शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इससे पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 20 मीटर से 750 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार केरल राज्य के शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 35.8697 वर्ग किलोमीटर के बीच फैला हुआ है जिसकी सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 3 ग्रामों की सूची मुख्य बिंदुओं के निर्देशांकों सहित **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में निहित वनों सहित तीन ग्राम आते हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों और निहित वनों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न हैं।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;

- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग ।

5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना के उपबंधों के पर्याप्त प्रचार किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 17, 22, 28, 34 और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा उनका सुदृढीकरण करना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर इत्यादि भी हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, केरला सरकार के राजस्व और वन विभाग, केरला सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** --

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्विनिर्देशित बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में होगी ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	(क) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।  (ख) जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात होगा ।
(5)	नई बड़ी जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ;  परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा ।

(10)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	<p>(क) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए ही जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा।</p> <p>(ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।</p> <p>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।</p> <p>(घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।</p>
(11)	नदी और भू-क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिकअपशिष्ट/रासायनिक अपशिष्टों का पातन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(12)	वाणिज्यिक मछली पकड़ना और अवैज्ञानिक रूप से मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) तथापि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात होगा।
(13)	नदी तटों का अतिक्रमण और नदी के तट पर वनस्पति का विनाश।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(14)	नदी पत्थरों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(15)	विस्फोटक मदों का विनिर्माण और भंडारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(16)	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पहाड़ियों का संपरिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
(17)	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;</p> <p>परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।</p>
(18)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ख) ऐसे लघु उद्योग जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियम यदि कोई हों और विनियमों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे;</p>

		(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(19)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(20)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना ।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(23)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(25)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	(क) लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे । (ख) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढालों के क्षेत्र को वहां उपदर्शित करेगी जहां संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(26)	प्राकृतिक जलाशयों या भू-क्षेत्रों में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहिःस्राव के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा ।
(27)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(29)	वन उत्पादों या गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	दुकानदारों द्वारा पॉलीथिन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।



संबंधित क्रियाकलाप :		
(33)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(34)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(35)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i. जिला कलक्टर, कोलाम - अध्यक्ष ;

ii. माननीय विधान सभा सदस्य, पुनलूर - सदस्य ;

(अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने वाली जिसके अंतर्गत केरल विधानसभा के अध्यक्ष से प्राप्त अनुज्ञा भी है यदि अपेक्षित हो, केरल सरकार के अध्यक्षीन)

iii. अध्यक्ष जिला पंचायत, कोलाम - सदस्य ;

iv. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

v. केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

vi. केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी - सदस्य ;

vii. वन्य जीव संरक्षक, शेन्दुणी - सदस्य-सचिव ।

## 6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में

आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध-IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/95/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'


**उपाबंध I**

### पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर	थेनमाला वन विभाग की अरयानकावु और थेनमाला श्रेणी- शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा से <b>500</b> मीटर की दूरी में, पेरियानुरुतीमलाई से प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से आरंभ होकर (बिंदु <b>22ए</b> ) और उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है और एनिप्पारा (बिंदु 16) से मिलती है।
पश्चिम	थेनमाला और पुनालुर विभाग- शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा से <b>500</b> मीटर की दूरी में, एनिप्पारा (बिंदु 16) से पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से आरंभ होकर और दक्षिण की ओर जाती है और चुरुदुईपिक (बिंदु 6) के निकट स्थान में मिलती है। यह सीमा कट्टीलापारा घेरे में शामिल है।
दक्षिण	तिरुवंथमपुरम क्षेत्रीय विभाग शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा से <b>500</b> मीटर की दूरी में, चुरुदुईपिक (बिंदु 6) से पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से आरंभ होकर, सीमा दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और करुमलई कडाकल (बिंदु 1) के निकट जहाँ से तमिलनाडु वन आरंभ होता है वहाँ मिलती है।
पूर्व	प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा अभयारण्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के साथ बिंदु 1 से बिंदु 50 की ओर जाती है और इसके बाद बिंदु 50 से बिंदु 22ए तक के साथ अभयारण्य की उत्तरी सीमा की ओर जाती है। शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य द्वारा बाड़े अर्थात् रोसेमाला और संपदा अर्थात् कल्लर और थेनगीनथोपु के सभी भागों को घेरा हुआ है। शेनद्रुणी वन्यजीव अभयारण्य राँकवुड संपदा के उत्तरी हिस्से के अलावा तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो दक्षिण भाग को छोड़कर राँकवुड संपदा के साथ विलय कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा के साथ है।

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांशो और देशांतरो के साथ



**पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मुख्य अवस्थानों पर अक्षांश और देशांतर**

बिन्दु आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	8°48' 5.389" उ	77°14' 1.316" पू
2	8°48' 41.693" उ	77°12' 59.392" पू
3	8°49' 30.080" उ	77°12' 19.035" पू
4	8°49' 43.113" उ	77°10' 52.610" पू
5	8°50' 30.238" उ	77°10' 5.493" पू
6	8°51' 24.708" उ	77°9' 20.322" पू
7	8°51' 18.230" उ	77°7' 53.835" पू
8	8°51' 50.714" उ	77°6' 39.989" पू
9	8°52' 29.882" उ	77°5' 36.444" पू
10	8°53' 41.216" उ	77°5' 18.949" पू
11	8°54' 6.593" उ	77°4' 31.757" पू
12	8°54' 55.385" उ	77°5' 18.179" पू
13	8°55' 24.527" उ	77°4' 58.644" पू
14	8°55' 41.268" उ	77°4' 12.711" पू
15	8°56' 43.051" उ	77°3' 39.753" पू
16	8°57' 46.638" उ	77°3' 51.492" पू
17	8°57' 43.289" उ	77°4' 50.968" पू
18	8°57' 55.939" उ	77°5' 43.734" पू
19	8°57' 41.751" उ	77°6' 29.998" पू
20	8°57' 3.206" उ	77°7' 38.380" पू
21	8°56' 38.701" उ	77°8' 54.836" पू
22	8°56' 12.590" उ	77°10' 12.892" पू
23	8°55' 1.885" उ	77°10' 6.189" पू
24	8°55' 17.086" उ	77°10' 56.134" पू

25	8°54' 31.484" उ	77°10' 45.276" पू
26	8°54' 42.342" उ	77°10' 18.132" पू
27	8°51' 53.209" उ	77°10' 41.330" पू
28	8°52' 4.059" उ	77°10' 55.211" पू
29	8°52' 8.207" उ	77°10' 36.065" पू
30	8°52' 43.148" उ	77°9' 36.234" पू
31	8°52' 13.791" उ	77°9' 45.169" पू
32	8°52' 27.353" उ	77°10' 7.985" पू
33	8°52' 41.872" उ	77°9' 6.080" पू
34	8°53' 25.269" उ	77°8' 40.871" पू
35	8°52' 28.629" उ	77°7' 19.661" पू
36	8°53' 5.325" उ	77°7' 27.958" पू
37	8°52' 40.595" उ	77°6' 12.811" पू
38	8°52' 17.780" उ	77°6' 11.694" पू
39	8°52' 30.863" उ	77°5' 55.420" पू
40	8°52' 32.299" उ	77°6' 28.606" पू
41	8°52' 19.694" उ	77°6' 39.296" पू
42	8°51' 48.423" उ	77°7' 4.823" पू
43	8°51' 46.030" उ	77°6' 38.658" पू
44	8°52' 1.825" उ	77°6' 27.330" पू
45	8°54' 55.732" उ	77°6' 0.845" पू
46	8°54' 58.604" उ	77°5' 37.232" पू
47	8°54' 51.903" उ	77°5' 43.135" पू
48	8°55' 2.912" उ	77°5' 55.260" पू
49	8°57' 47.247" उ	77°4' 21.127" पू
50	8°57' 37.674" उ	77°4' 50.484" पू

51	8°58' 2.882" उ	77°5' 56.856" पू
52	8°57' 33.525" उ	77°4' 47.612" पू
22 ए	8°55' 51.416" उ	77°11' 40.965" पू

**उपाबंध III**

पारिस्थितिक संवेदी जोन में निहित वनों और गांवों की सूची

क्र.सं.	जिला	तालुक	ग्राम	स्थिति
1	कोल्लाम	पथानापुरम	अरैनकावु	(भाग)
2	कोल्लाम	पथानापुरम	थेनमाला	(भाग)
3	कोल्लाम	पथानापुरम	कुलाथुपुजहा	(भाग)

पारिस्थितिक संवेदी जोन में आरक्षित/निहित वनों का विवरण

क्र.सं.	जिला	आरक्षित वनों के नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	विस्तार (वर्ग किलोमीटर)	अधिसूचना सं.
1	कोल्लाम	अरैनकावु	थेनमाला क्षेत्रीय विभाग की थेनमाला श्रेणी	0.850	त्रावनकोर सरकारी राजपत्र सं. पृष्ठ 974 दिनांक 20-08-1901
2	कोल्लाम	कुलाथुपुजहा	थेनमाला क्षेत्रीय विभाग की अरैनकावु श्रेणी, थेनमाला क्षेत्रीय विभाग की थेनमाला श्रेणी और तिरुबंधमपुरम क्षेत्रीय विभाग की कुलाथुपुजहा श्रेणी	24.9257	त्रावनकोर सरकारी राजपत्र सं. पृष्ठ 1039 दिनांक 17-09-1901
3	कोल्लाम	येरुर	पुनालुर क्षेत्रीय विभाग की अंचल श्रेणी	2.504	त्रावनकोर सरकारी राजपत्र सं. दिनांक 27-09-1898

**उपाबंध IV**

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 65(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

### Draft Notification

WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary is situated between 8°44' & 9°14'N latitude and 76°59' & 77°16'E longitude in Kollam District in the State of Kerala and is spread over an area of 172.403 square kilometre;

AND WHEREAS, the sanctuary is part of core area of Agasthayamalai Biosphere Reserve and also part of Periyar Elephant Reserve in Kerala State;

AND WHEREAS, the Sanctuary supports wide variety of flora and fauna and the important rare, endemic and threatened species of plants include *Gluta travancorica*, *Cynometra bourdilonii*, *Palaquium bourdilonii*, *Madhuca bourdilonii*, *Bentinckia condapanna*, *Cullenia excels*, *Cinnamomum sulphauratum*, *Garcinia imberti*, *Trichopus zeylanicus* etc. and important animals include Tiger, Leopard, Nilgiri marten, Mongoose, Elephant, Gaur, Sambar Deer, Lion Tailed Macaque, Nilgiri Langur, Slender Loris, Sloth Bear, Leopard Cat etc.;

AND WHEREAS, the Shendurney sanctuary got its name from a tree locally called Chenkuri ( *Gluta travancorica* ) which is an endemic tree confined to this tract and the sanctuary also has a very important rare and endemic medicinal plant named as Arogyapacha ( *Trichopus zeylanicus* ) which has anti-fatigue properties and is widely used by tribals and locals;

And whereas the Shendurney sanctuary is the catchment area of Kallada river and the water from Shendurney reservoir supports a large tract of agricultural lands in Kollam and Pathanamthitta Districts of Kerala;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Shendurney Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 20 metres to 750 meters around the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary in the State of Kerala as the Shendurney Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 20 metres to 750 meters from the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary in the State of Kerala and is spread over an area of 35.8697 square kilometre. Details of boundary are appended as **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**.

(3) The Eco-sensitive Zone covers 3 villages including vested forests. The list of the villages and vested forests falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal ;

(vi) Revenue ;

(vii) Agriculture;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.



- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 17, 22, 28, 34 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) widening and strengthening of existing roads,
- (iii) small scale industries not causing pollution,
- (iv) rainwater harvesting, and
- (v) cottage industries including village artisans etc :

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Kerala.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.  (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated

		the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	(a) Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. (b) Permitted for bona fide use of tribals.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
10	Commercial water resources including ground water harvesting	(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including for commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone. (b) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11	Dumping of solid wastes/plastic wastes/chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12	Commercial Fishing and unscientific fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, permitted for bonafide use of tribals.
13	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14	Collection of river stones.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

15	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>Regulated activities</b>		
17.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:  Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan.
18	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone:  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3.  (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.  (c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.  (c) In case of reserve forests and protected forests the working plan prescriptions shall be followed.
20.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
22.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Protection of hill slopes and river banks.	(a) Regulated for commercial purpose, under applicable laws. (b) The Zonal master Plan shall indicate areas of hill slopes where construction shall not be permitted.
26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
31.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
32.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
<b>Promoted activities</b>		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.

**5. Monitoring Committee.**—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (i) The District Collector, Kollam - Chairman
- (ii) The Member of Legislative Assembly, Punaloor - Member  
(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)
- (iv) President, District Panchayat, Kollam – Member
- (v) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case – Member
- (vi) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case – Member
- (vii) Kerala Pollution Control Board, District Officer - Member
- (viii) The Wildlife Warden, Shendurney – Member

**6. Terms of Reference.-**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and

referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure IV**.
  - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/95/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

#### **ANNEXURE-I**


#### **BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE**

North	Aryankavu and Thenmala Ranges of Thenmala Forest Division - At a distance of 500m from the Northern boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary, the boundary of proposed ESZ starts from Periyannurutimalai (point 22A) and runs towards North- West and meets at Enippara (point16).
West	Thenmala and Punalur Divisions – At a distance of 500m from the Western boundary of the Shendurney Wildlife Sanctuary the boundary of ESZ starts from Enippara (point16 ) and runs towards south and meets at a place near Churudipeak (point 6). This boundary includes the Kattilapara enclosure.
South	Thiruvananthapuram Territorial Division – At a distance of 500m from the Southern boundary of the Shendurney Wildlife Sanctuary the boundary of ESZ starts from the Churudi peak (point 6) the boundary goes towards South – East and meets near Karumalai kadackal (point1) where the Tamil Nadu Forest starts.
East	The Eastern boundary of the proposed Eco-Sensitive Zone runs from point 1 along the South-Western boundary of Sanctuary up to point 50 and then runs along Northern boundary of the sanctuary from point 50 to 22A.
	The enclosure namely Rosemala, and estates namely Kallar & Thenginthopu are encircled in all sides by Shendurney Wildlife Sanctuary. And part of Northern portion of Rockwood estate is surrounded on three sides by Shendurney Wildlife Sanctuary except Southern portion which is merging with rest of Rockwood estate, which is within southern boundary of Eco-Sensitive Zone.



ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES



**LATITUDE AND LONGITUDE OF KEY LOCATIONS  
ON THE BOUNDARY OF ECOSENSITIVE ZONE**

<b>Point ID</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>
1	8°48' 5.389" N	77°14' 1.316" E
2	8°48' 41.693" N	77°12' 59.392" E
3	8°49' 30.080" N	77°12' 19.035" E
4	8°49' 43.113" N	77°10' 52.610" E
5	8°50' 30.238" N	77°10' 5.493" E
6	8°51' 24.708" N	77°9' 20.322" E
7	8°51' 18.230" N	77°7' 53.835" E
8	8°51' 50.714" N	77°6' 39.989" E
9	8°52' 29.882" N	77°5' 36.444" E
10	8°53' 41.216" N	77°5' 18.949" E
11	8°54' 6.593" N	77°4' 31.757" E
12	8°54' 55.385" N	77°5' 18.179" E
13	8°55' 24.527" N	77°4' 58.644" E
14	8°55' 41.268" N	77°4' 12.711" E
15	8°56' 43.051" N	77°3' 39.753" E
16	8°57' 46.638" N	77°3' 51.492" E
17	8°57' 43.289" N	77°4' 50.968" E
18	8°57' 55.939" N	77°5' 43.734" E
19	8°57' 41.751" N	77°6' 29.998" E
20	8°57' 3.206" N	77°7' 38.380" E
21	8°56' 38.701" N	77°8' 54.836" E
22	8°56' 12.590" N	77°10' 12.892" E
23	8°55' 1.885" N	77°10' 6.189" E
24	8°55' 17.086" N	77°10' 56.134" E
25	8°54' 31.484" N	77°10' 45.276" E
26	8°54' 42.342" N	77°10' 18.132" E
27	8°51' 53.209" N	77°10' 41.330" E
28	8°52' 4.059" N	77°10' 55.211" E



29	8°52' 8.207" N	77°10' 36.065" E
30	8°52' 43.148" N	77°9' 36.234" E
31	8°52' 13.791" N	77°9' 45.169" E
32	8°52' 27.353" N	77°10' 7.985" E
33	8°52' 41.872" N	77°9' 6.080" E
34	8°53' 25.269" N	77°8' 40.871" E
35	8°52' 28.629" N	77°7' 19.661" E
36	8°53' 5.325" N	77°7' 27.958" E
37	8°52' 40.595" N	77°6' 12.811" E
38	8°52' 17.780" N	77°6' 11.694" E
39	8°52' 30.863" N	77°5' 55.420" E
40	8°52' 32.299" N	77°6' 28.606" E
41	8°52' 19.694" N	77°6' 39.296" E
42	8°51' 48.423" N	77°7' 4.823" E
43	8°51' 46.030" N	77°6' 38.658" E
44	8°52' 1.825" N	77°6' 27.330" E
45	8°54' 55.732" N	77°6' 0.845" E
46	8°54' 58.604" N	77°5' 37.232" E
47	8°54' 51.903" N	77°5' 43.135" E
48	8°55' 2.912" N	77°5' 55.260" E
49	8°57' 47.247" N	77°4' 21.127" E
50	8°57' 37.674" N	77°4' 50.484" E
51	8°58' 2.882" N	77°5' 56.856" E
52	8°57' 33.525" N	77°4' 47.612" E
22 A	8°55' 51.416" N	77°11' 40.965" E

**ANNEXURE-III****LIST OF VILLAGES AND VESTED FORESTS IN ECO-SENSITIVE ZONE**

Sl. No.	District	Taluk	Village	Status
1	Kollam	Pathanapuram	Arienkavu	(Part)
2	Kollam	Pathanapuram	Thenmala	(Part)
3	Kollam	Pathanapuram	Kulathupuzha	(Part)

**DETAILS OF RESERVE/VESTED FORESTS IN ECOSENSITIVE ZONE**

Sl.No	District	Name of Reserved Forest	Administrative Control	Extent Sq. km.	Notification No.
1	Kollam	Arienkavu	Thenmala Range of Thenmala Territorial Division	0.850	Travancore Government Gazette, page 974 dated 20-08-1901
2	Kollam	Kulathupuzha	Arienkavu Range of Thenmala Territorial Division, Thenmala Range of Thenmala Territorial Division and Kulathupuzha Range of Thiruvananthapuram Territorial Division	24.9257	Travancore Government Gazette, page 1039 dated 17-09-1901
3	Kollam	Yeroor	Anchal Range of Punalur Territorial Division	2.504	Travancore Government Gazette, page dated 27-09-1898

**ANNEXURE-IV****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.  
[Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.  
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.  
[Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.